

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2/स्थाईकरण/उदयपुर/यू 555/2018/

दिनांक

—: आदेश :—

निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2(सीधी भर्ती 2013)/2016/60 दिनांक 10 02 2016 एवं 214 दिनांक 31 03 2017 के द्वारा निम्न का नर्स द्वितीय के पद पर चयन कर दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियुक्तिया प्रदान की गई थी। इन अभ्यर्थियों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अकित कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से नियमित करते हुये इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अकित कॉलम संख्या 07 में दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15 (1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30 10 2017 एवं 09 12 2017 के अनुराण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स द्वितीय के पद की पै मेट्रिका लेवल एल-11 में न्यूनतम वेतन 37800/— एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्र.स.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात् परिवीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	निर्मला पुर्विया	उदयपुर	15 11 82	11 02 16	10 02 18	11 02 18
2	देवीलाल पटेल	उदयपुर	14 01 87	07 04 17	06 04 19	07 04 19
3	दुर्गा रेगर	उदयपुर	12 05 88	07 04 17	06 04 19	07 04 19
4	सुरेश कुमार	उदयपुर	25 07 85	17 04 17	16 04 19	17 07 19

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक 11/09/19

क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2/स्थाईकरण/उदयपुर/यू 555/2018/730

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

- 1 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर-उदयपुर।
- 2 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।
- 3 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामान्य चिकित्सालय, रालुम्बर, उदयपुर।
- 4 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मावली (उदयपुर)।
- 5 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कोटडा, उदयपुर/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ईण्टाली (उदयपुर)/घासा (उदयपुर)।
- 6 संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 7 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
- 8 आदेश पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।